न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–18/2017

CIS NO. TS 663/2018

सोना देवी...वादिनी

बनाम

बनारसी महतो एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
11.04.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 29.11.2024 पर सुना। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 29.11.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 17.02.2012 को सूची के साथ कागजातों को दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दाखिल कागजातों को प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। वादिनी की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 29.11.2024 को स्वीकार करते हुए दाखिल	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–18/2017

CIS NO. TS 663/2018

सोना देवी...वादिनी

बनाम

बनारसी महतो एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **11.04.2025**	कागजातों को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक कमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 02.05.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	